दिनांक 04/03/24 को पेश हो

Priyanka

04/3/24 पत्रावली पेश/प्रति/अप्रार्थी सं. 2 अधि० उप० / वादी/प्रार्थी अधि० उप०। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 27/3/2024 को पेश हो।

(VINAY KOTHARI ADV for NHAI)

Priyanka

27/03/24 पत्रावली पेश। आदेशिका 20/02/24 की पालना में भू. अ. नि. डांगियावास की मौका Report प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिसल किया गया। मुताबिक भू. अ. नि. डांगियावास रिपोर्ट- "राजस्व Record जमाबंदी में ख. सं. 75 (0.16 बीघा) शिखरचंद s/o रिखबराज के नाम दर्ज थी, जिसमें से NHAI द्वारा 0.05.03 बीघा भूमि M. no 1819/10/05/22 द्वारा अवाप्त कर ली गई, शेष 0.10.17 बीघा भूमि M. no 1879/05.10.22 द्वारा सांवरलाल s/o सुखाराम जाट को बेचान कर दी गई। ख. सं. 76 (35-11 बीघा) में से NHAI द्वारा 33.11.12 भूमि अवाप्त कर ली गई, शेष 01.19.08 बीघा भूमि सांवरलाल s/o सुखाराम जाट को M. no. 1889/15-02-23 द्वारा बेचान कर दी गई। ख. सं. 76 M. no. 131 द्वारा 35 बीघा वेमा s/o रावत के नाम नियमन हुआ। तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबंदी चौसाला तहरीर करते समय सहवन से ख. सं. 76 का रकबा 35 बीघा के स्थान पर 35-11 बीघा दर्ज हो गया।" रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ख. सं. 75 में खातेदार 0.10.17 बीघा भूमि पर काबिज है, जो राजस्व Record अनुसार है। ख. सं. 76 में खातेदार के पास 0.07 ~~बिस्वा~~ बीघा भूमि शेष रही है एवं ख. सं. 76 की शेष भूमि NHAI द्वारा मौके पर अवाप्त कर ली गई है, जबकि NHAI

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	द्वारा 33.11.12 बीघा भूमि का ही अवाई जारी किया गया है। भू. अ. नि. डांगियावास की report से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में record शुद्धि एवं NHAI द्वारा अवाप्त भूमि का award जारी होना है। उक्त दोनों का क्षेत्राधिकार उपखंड अधिकारी, उत्तर का है, अतः पत्रावली SDO (North) को transfer हो दोनों पक्षकार दिनांक 08/04/24 को SDO (North) कार्यालय में उपस्थित रहें। Prinjan	
	पुनश्च: → अधि. वादी द्वारा आदेशिका लेखन पश्चात उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवाई गई कि धारा 188 RTA के तहत सुनवाई का अधिकार सहायक कलक्टर को है ना कि उपखंड अधिकारी को। अतः पत्रावली transfer से वाद निस्तारण नहीं हो पायेगा।	
	अधि. वादी की आपत्ति स्वीकार करते हुए मौजूदा वाद का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- "वादग्रस्त भूमि के ख. सं. 76 में रकबा शुद्धि एवं Land acquisition Act के तहत कार्यवाही हेतु उपखंड अधिकारी	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	अधिकृत हो मू. अ. नि. डांगियावास की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का रकबा वास्तविक रकबा से अधिक सहवन से दर्ज हो गया है साथ ही NHAI द्वारा मौके पर अवाप्ति से अधिक भूमि पर कार्य किया जा रहा है। अतः उपखंड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर को पत्र जारी हो। (पृथक से संलग्न) आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka	